

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित सिविल सर्जन,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

पटना, दिनांक : 10-01-2019

विषय:- मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-001-निदेशन और प्रशासन-0004-अंधेपन की रोकथाम विपत्र कोड-20-2210010010004 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतनादि तथा अन्य प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹ 1,19,45,880/- (एक करोड़ उन्नीस लाख पैतालिस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में संगत शीर्ष में उपबंधित राशि में से वेतन एवं वेतनादि तथा अन्य प्राथमिक ईकाईयों में व्यय हेतु कुल ₹ 1,19,45,880/- (एक करोड़ उन्नीस लाख पैतालिस हजार आठ सौ अस्सी रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक-8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-3388वि0(2) दिनांक 18.4.11, 4201वि0(2) दिनांक-12.04.2012, 326वि0 दिनांक-2.04.2014 एवं 295वि0 दिनांक- 04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार राशि की निकासी एवं व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-001-निदेशन और प्रशासन-0004-अंधेपन की रोकथाम विपत्र कोड-20-2210010010004 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से की जायेगी।

4. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार राशि का उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी संबंधित सभी अस्पताल के लिए होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र में निहित निर्देश के अनुसार राशि की निकासी एवं व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।



1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं। राशि समाप्त होने की स्थिति में पुनः अतिरिक्त आवंटन की भी मांग करेंगे।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे । अस्थायी पदों का वेतन की निकासी इस आवंटन से नहीं की जा सकेगी।
9. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
10. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

Q.01/19

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापक : 18(10)75

पटना, दिनांक :- 10-01-2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10/प्रशाखा के अन्य सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

Q.01/19

सरकार के विशेष सचिव

Signature

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित अंधेपन की रोकथाम उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में आवंटन ।

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मधेपुरा	1200000	108000	144000	0	18000	4800	1474800	1474800
2	बक्सर	400000	36000	48000	0	6000	1600	491600	491600
3	जहानाबाद	1800000	162000	216000	0	27000	7200	2212200	2212200
4	रोहतास	1700000	153000	204000	0	25500	6800	2089300	2089300
5	पूर्धियां	2000000	180000	240000	0	30000	8000	2458000	2458000
6	जमुई	330000	29700	39600	0	4950	1320	405570	405570
7	पूर्वांचल	1900000	171000	228000	0	28500	7600	2335100	2335100
8	सुपौल	390000	35100	46800	0	5850	1560	479310	479310
	कुल	9720000	874800	1166400	0	145800	38880	11945880	11945880

(एक करोड़ उन्नीस लाख पैंतालिस हजार आठ सौ अस्सी) रु० मात्र

Q.1119

सरकार के विशेष सचिव

(Signature)

181054

10-01-2019